संतकबीरनगर पुलिस

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 26.03.2024***

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 32/2024 धारा 363, 366 भादवि के मामले मे वांछित अभियुक्त संतोष पुत्र अमरनाथ उर्फ बेचू निवासी कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त वादी की नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 26.03.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री पवन कुमार, का0 अरविन्द कुमार तिवारी, का0 सुनील पाल।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 11 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत तुर्कवलिया से इवेन्ट संख्या 08218 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के कारण 11 व्यक्तियों (1. अशोक पुत्र रामभजन 2. रामभजन पुत्र बशीलाल 3. मंशा पत्नी अशोक 4. सुनीता पत्नी रामभजन 5. राजन पुत्र रामभजन 6. शीतल पुत्री रामभजन 7. शिवम पुत्र राजेश 8. लक्ष्मी पत्नी ओमप्रकाश 9. अमृता पुत्री भालचन्द्र 10. ममता पुत्री ओमप्रकाश 11. रोहिनी पुत्री ओमप्रकाश ग्रा0 तुर्कवलिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 पंकज यादव, हो0चा0 मेजर यादव ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 50 वाहनों से 44,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 50 वाहनों से 44,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।